सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 2- जल उपभोक्ता समितियों की स्थिति

विषय 2.2 - जल उपभोक्ता समितियों की समस्याएँ, मुद्दे और चुनौतियां

विषय-2.2

जल उपभोक्ता समितियों (जउस) की समस्याएँ, मुद्दे और चुनौतियां

मॉड्यूल-2 के विषय :

2.1 देश में जल उपभोक्ता समितियों (जउस) की वर्तमान स्थिति

2.2 जल उपभोक्ता समितियों (जउस) की समस्याएँ, मुद्दे और चुनौतियां

2.3 जउस तथा विभाग द्वारा अपनाई गई अनुकरणीय प्रथाएँ

2.4 जउस की सफलता के प्रमुख कारण तथा उनका भविष्य

1- उपभोक्ता समितियों (डब्ल्यू यू ए) के लिए बाधाएं, मुद्दे और चुनौतियां

1.1 <u>पिम के किसान हितैषी, सरल और व्यावहारिक नियम-अधिनियम</u>

एकाध राज्यों को छोड़कर प्रत्येक राज्य में पिम के नियम-अधिनियम लाभार्थी कृषकों से पर्याप्त संवाद किए बिना तैयार तथा लागू किए गए हैं , इस कारण वे

जमीनी वास्तविकताओं पर आधारित नहीं है । उदाहरण के लिए सभी नियम-अधिनियम यह मान कर बनाए गए हैं कि (1) जल उपभोक्ता समितियों (डब्ल्यू यू ए) के पदाधिकारी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्सुक होंगे तथा (2) कमान क्षेत्र के प्रत्येक किसान को जल उपभोक्ता समिति का सदस्य अधिसूचित करने मात्र से उनमें एकजुटता उत्पन्न हो जाएगी।

अधिनियम और नियमों में लचीलेपन का अभाव है, समिति के गठन की प्रक्रियाएं लंबी और बोझिल हैं । कुल मिलाकर यह नियम - अधिनियम समितियों के गठन के कार्य को सहज बनाने के स्थान पर और मुश्किल बना रहे हैं।

पिम नियम-अधिनियम किसान हितैषी, सरल और लचीले होने चाहिए। समिति के वित्तीय संसाधनों, विभाग और समिति की परस्पर जवाबदेही, समिति सदस्यों के क्षमता वर्धन के लिए गैर-सरकारी संगठनों की नियुक्ति, महिलाओं की भागीदारी, चुनाव और नहर अपराध आदि अनेक मुद्दों पर नियम-अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों मे अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर सुधार किए जाने की आवश्यकता है ।

1.2 <u>बड़ी नहर प्रणालियों के सभी स्तरों पर समितियों का एक साथ गठन</u>

राज्य पिम अधिनियमों में विस्तार से बताया गया है कि कुलाबा स्तर से लेकर परियोजना स्तर पर जल उपभोक्ता समितियों का गठन कैसे किया जाना चाहिए। मेक्सिको और तुर्की जैसे अन्य देशों के अनुभव से पता चला है कि आउटलेट या माइनर कैनाल से ऊपर जाने से पहले निचले स्तर की जल उपभोक्ता समितियों का सही ढंग से काम करना महत्वपूर्ण है । निचले स्तर की जल उपभोक्ता समितियाँ जब प्रणाली के संचालन , रखरखाव और जल प्रबंधन करने में सक्षम हो जाएंगी तो अपने-आप उच्च स्तर की समितियों के प्रबंधन में उनकी रुचि और उनका सहयोग बढ़ेगा । इसका सबसे अच्छा उदाहरण गुजरात है जहां अधिनियम में केवल माइनर स्तर की नहर पर ही डब्ल्यू यू ए गठित करने का प्रावधान है । लेकिन एक बार जब माइनर स्तर पर डब्ल्यू यू ए ने अच्छी तरह

से काम करना शुरू कर दिया, तो किसानों द्वारा इस अधिनियम में संशोधन की प्रतीक्षा किए बिना वितरिका / डिस्ट्रीब्यूटरी स्तर पर अनौपचारिक डब्ल्यू यू ए गठित कर ली गई । इसके विपरीत, मध्य प्रदेश मे एक ही बार में माइनर, और वितरिका स्तर पर डब्ल्यू यू ए के गठन की शुरुआत की गईं, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही वितरिका स्तर पर डब्ल्यू यू ए के गठन रोकना पड़ा ।

1.3 <u>डब्ल्यू यू ए को एकीकृत जल प्रबंधन के लिए दायरा बढ़ाना होगा ।</u>

अभी, समितियाँ नहर की मरम्मत और रखरखाव, किसानों के बीच नहर जल वितरण, सिंचाई रिकॉर्डिंग और राजस्व संग्रह पर केंद्रित हैं । जल-ग्रस्तता (water-logging), लवणता (salinity) , अत्यधिक भूजल दोहन और मिट्टी के संदूषण (contamination) जैसी पर्यावरणीय समस्याएं सिंचित कृषि में प्रमुख मुद्दे हैं जो कृषि उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण हैं । चूंकि सतही जल (नहर का पानी) और भूजल (कुएं, नलकूप) एक दूसरे के पूरक जल स्रोत हैं, इसलिए डब्ल्यू यू ए को अपने अधिकार क्षेत्र में नहर के पानी और भूजल के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

सभी राज्यों के पिम नियमों-अधिनियमों में डब्ल्यू यू ए को भूजल प्रबंधन में प्रभावी भूमिका सौंपी गयी है। उदाहरण के लिए , महाराष्ट्र पिम अधिनियम डब्ल्यू यू ए को भूजल और रीसाइकिल किए गए पानी के उपयोग पर शुल्क लगाने की अनुमति देता है, लेकिन समितियाँ पूरी तरह से नहर जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर चुकी हैं तथा भूजल प्रबंधन कृषक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर छोड़ दिया गया है । डब्ल्यूयूए के लिए यह आवश्यक है कि वह कमान में सभी जल संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करे और उनकी स्थिरता के लिए एकीकृत सिंचाई जल प्रबंधन में अपनी भूमिका का विस्तार करे ।

चित्र 1 : महाराष्ट्र में नहर के पास जलाशय का निर्माण

1.4 <u>डब्ल्यू यू ए सरकारी अनुदान (सब्सिडी) के बिना टिकाऊ होना चाहिए ।</u>

सामान्य तौर पर राज्यों के पिम अधिनियम सिंचाई जल शुल्क निर्धारित करने की अनुमति नहीं देते हैं। परन्तु , सरकारी दरों के आधार पर वसूल किए गए कुल जल शुल्क का एक निर्धारित प्रतिशत डब्ल्यू यू ए को जल प्रबंधन कार्यों के लिए वापस कर देती हैं । इस प्रक्रिया में डब्ल्यू यू ए को फंड प्राप्त करने में देर होती है । राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई शुल्क बहुत कम रखा जाता है और कई राज्यों में सिंचाई मुफ्त की जाती है जिसके कारण डब्ल्यू यू ए के लिए सिंचाई शुल्क का हिस्सा अपर्याप्त रहता है । वर्तमान में, कमांड क्षेत्र विकास (CADWM) कार्यक्रम के तहत गठित डब्ल्यू यू ए को 1000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रबंधन सब्सिडी प्रदान की जाती है, लेकिन जहां कमांड क्षेत्र विकास (CADWM) कार्यक्रम लागू नहीं है उस क्षेत्र में डब्ल्यू यू ए को को प्रबंधन सब्सिडी नहीं मिलती है। राज्य सरकारों द्वारा डब्ल्यू यू ए को कभी कभी अति आवश्यक कार्यों के लिए अलग से भी धन दिया जाता है। यदि इन सरकारी आर्थिक सहायताओं को वापस लिया जाता है, तो डब्ल्यू यू ए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाएंगी।

डब्ल्यू यू ए को जल प्रबंधन गतिविधियों और प्रशासनिक मदों पर हुए वास्तविक व्यय के आधार पर सिंचाई शुल्क निर्धारित तथा वसूल करने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह आत्मनिर्भर और टिकाऊ हो सकेंगी।

1.5 प्रशिक्षण सभी स्तरों पर आवश्यक है

सहभागी सिंचाई प्रबंधन एक नया तौर-तरीका है जो निर्णय लेने में कृषकों की भागीदारी तथा उनके द्वारा नहर प्रणाली का रखरखाव, सिंचाई जल वितरण, जल शुल्क वसूली और जल निकासी के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है । सिंचाई एजेंसी और किसानों द्वारा मिल जुल-कर निर्णय, कार्यान्वयन और संयुक्त प्रबंधन दोनों के लिए एक नई अवधारणा है । इस तरह के बदलाव से एजेंसी और किसानों दोनों में विशेष कौशल और नज़रिए ज़रूरत है , जो नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के संबंध में है । इसका तात्पर्य यह है कि किसानों और अधिकारियों को डब्ल्यू यू ए गठित करने और उन्हें कार्यशील बनाने के लिए बहुत से प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के प्रयासों की आवश्यकता है ।

राज्य वाल्मी, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), गैर सरकारी संगठन, कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय जल अकादमी, इंडियनपिम और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के पास प्रशिक्षण संसाधनों को साझा करने के लिए एक नेटवर्क होना चाहिए क्योंकि राज्यों में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की चुनौती बहुत बड़ी है ।

प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किसानों को काफी हद तक परंपरागत क्लास रूम प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिनका प्रभाव अत्यंत सीमित होता है । इसके उलट फॉर्मर फील्ड स्कूलों (एफएफएस) जैसे नए और अभिनव प्रशिक्षण तरीके जो किसानों के खेतों में आयोजित किए जाते हैं और ' स्वयं करो और सीखो ' के सिद्धांत पर आधारित हैं, बहुत अधिक प्रभावी हैं। इसी प्रकार, प्रशिक्षण के दौरान सफल परियोजनाओं पर भ्रमण (एक्सपोजर विजिट) भी क्लास रूम प्रशिक्षण की तुलना में अधिक प्रभावी पाया गया है । छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना (सीआईडीपी) और

उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना अच्छा उदाहरण हैं जहां डब्ल्यू यू ए को ' स्वयं करो और सीखो ' के सिद्धांत पर आधारित प्रशिक्षण क्रमश: फार्मर फील्ड स्कूल(एफएफएस) और फार्मर वाटर स्कूल (एफडब्ल्यूएस) के माध्यम से दिया गया है।

चित्र 2: फार्मर वाटर स्कूल (एफडब्ल्यूएस), उत्तर प्रदेश

1.6 <u>सरकारी एजेंसियों को कृषक उन्मुख (Farmer-oriented) करने की जरूरत है।</u>

डब्ल्यू यू ए को जल संसाधन विभाग, कमांड क्षेत्र विकास विभाग , कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, भूजल विभाग और ग्रामीण विकास विभाग आदि कई सरकारी एजेंसियों से सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होती है । ये एजेंसियां अलग-थलग और कभी कभी विपरीत उद्देश्यों को लेकर काम करती हैं । उदाहरण के लिए, कृषि विभाग फसल किस्मों और फसल प्रथाओं को बढ़ावा देता है जबकि जल संसाधन विभाग सिंचाई जल की आपूर्ति करते हैं । परन्तु, दोनों विभाग उपलब्ध पानी के आधार पर बढ़ावा देने वाली फसल किस्मों और फसल प्रथाओं पर शायद ही कभी एक-दूसरे से परामर्श करते हैं । राज्यों में, डब्ल्यू यू ए का सहयोग करने के लिए कृषि और अन्य एजेंसियों की उपस्थिति नगण्य है । डब्ल्यू

यू ए की प्रबंधन समिति में कृषि विभाग से पदेन सदस्य को सह-चयन करने का प्रावधान कुछ राज्यों के पिम अधिनियम में मौजूद है, फिर भी कृषि विभाग का प्रभावी सहयोग क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहा है ।

डब्ल्यू यू ए को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी जल संसाधन विभाग / सरकारी एजेंसी को उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की तर्ज पर प्रत्येक सिंचाई प्रभाग में बहु-विषयक पिम-प्रकोष्ठ (पिम सेल) का गठन करना चाहिए, जो डब्ल्यू यू ए के दैनिक कामकाज, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आवश्यकताओं पर एकल खिड़की (सिंगिल-विन्डो) सेवाएँ प्रदान करे और डब्ल्यू यू ए और अन्य लाइन एजेंसियों / विभागों तथा विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करे ताकि डब्ल्यू यू ए जल प्रयोक्ता के लिए एक विश्वसनीय और कुशल संस्था के रूप में विकसित हो सके।

1.7 प्रत्येक स्तर पर विभाग द्वारा प्रभावी निगरानी और सहयोग

डब्ल्यू यू ए के शुरुआती दौर में विभाग द्वारा डब्ल्यू यू ए की प्रभावी निगरानी और सहयोग बहुत आवश्यक है। यद्यपि प्रत्येक राज्य के पिम अधिनियमों में प्रत्येक स्तर पर विभाग द्वारा डब्ल्यू यू ए की निगरानी के लिए प्रावधान हैं लेकिन जल संसाधन विभाग इस कार्य को उचित महत्व नहीं देते हैं , साथ ही इस कार्य के लिए उपयुक्त कौशल (skill) का भी विभाग में अभाव है। निगरानी और सहयोग के नाम पर विभाग द्वारा डब्ल्यू यू ए को बाधित और नियंत्रित करने की कवायद होती है । महत्वपूर्ण विषयों, उदाहरण के लिए, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, समय और प्रासंगिकता, डब्ल्यूयूए के लिए जल शुल्क अंश का समय से भुगतान करने और लेखा परीक्षा अनुपालन आदि कई महत्वपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप डब्ल्यू यू ए कमजोर बनी रहेंगी तथा फंड का दुरुपयोग हो सकता है । इसलिए, उपरोक्त पैरा 3.6 मे सुझाए गए बहु-विषयक पिम-प्रकोष्ठ (पिम सेल) का गठन करके उसके माध्यम से नियमित निगरानी तंत्र स्थापित करना आवश्यक है।